रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 923] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 2016/चैत्र 29, 1938
No. 923] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 18, 2016/CHAITRA 29 , 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2016

का.आ.1434(अ).— केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 58 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 728(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 1996, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 18 अक्तूबर, 1996 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में मद III और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

1	2	3	4
"IV	**मोडुलर हाइड्रोलिक ट्रेलर**		
(i)	तीन एक्सल वाला पुलर ट्रेक्टर (मोडुलर हाइड्रोलिक ट्रेलर को खींचने के लिए कर्षण प्रयोजन हेतु स्थिरक भार सहित):		
	आगे वाले एक्सल पर 2 टायर टैंडम एक्सल पर 8 टायर	36	आगे वाले एक्सल पर 7.5 टन पिछले टैंडम एक्सल पर 28.5 टन
(ii)	मोडुलर हाइड्रोलिक ट्रेलर – पंक्ति मोड्यूल: (1) 2 पंक्ति मोड्यूल (2) 3 पंक्ति मोड्यूल (3) 4 पंक्ति मोड्यूल (4) 5 पंक्ति मोड्यूल	 (1) 36 (2) 54 (3) 72 (4) 90	 18 टन प्रति एक्सल रेखा"

	(5) 6 पंक्ति मोड्यूल (6) 7 पंक्ति मोड्यूल (7) 8 पंक्ति मोड्यूल **टिप्पण**: (क) एक्सल रेखा में एक पंक्ति में दो एक्सल सम्मिलित होते हैं, जिसमें प्रति एक्सल 4 टायर होते हैं। (ख) पंक्ति मोड्यूल में दो या अधिक एक्सल रेखाएं सम्मिलित होती हैं। (ग) भिन्न-भिन्न मोड्यूलों के संयोजन की दशा में, अनुज्ञेय सकल यान भार व्यष्टिक मोड्यूलों के रजिस्ट्रीकृत लदाई भार (आरएलडब्ल्यू) का कुल योग होगा। (घ) 8 एक्सल रेखाओं से अधिक वाले बड़े संयोजन के लिए संचलन, संबद्ध प्राधिकारियों के अनुमोदन के अधीन होगा।	(5) 108 (6) 126 (7) 144	

[फा. सं. आरटी-11042/13/2008-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 728(अ) तारीख 18 अक्तूबर, 1996 में प्रकाशित किया गया था और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 41(अ) तारीख 7 जनवरी, 2016 द्वारा किया गया था।

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2016

S.O. 1434(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 58 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport No. S.O. 728(E) dated the 18th October, 1996 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-ll, Section 3, sub-section (ii), dated the 18th October, 1996, namely:—

In the Schedule to the said notification, after item III and entries thereto, the following item and entries relating thereto, shall be inserted, namely:—

1	2	3	4
"IV	**Modular hydraulic trailers**		
(i)	Three axle puller tractor (with ballast weight for traction purpose to pull modular hydraulic trailer): 2 tyres on front axle 8 tyres on tandem axle	36	7.5 tonne on front axle 28.5 tonne on rear tandom axle

(ii)	Modular hydraulic trailer - row modules: (1) 2 row module (2) 3 row module (3) 4 row module (4) 5 row module (5) 6 row module (6) 7 row module (7) 8 row module **Notes:** (a) Axle line consists of two axles in a row with 4 tyres per axle. (b) Row module consist of two or more axle lines. (c) In case of combination of different modules, the permissible Gross Vehicle Weight shall be sum total of Registered Laden Weight (RLW) of individual modules. (d) For larger combination with more than 8 axle lines, movement shall be subject to the approval from the concerned authorities.	 (1) 36 (2) 54 (3) 72 (4) 90 (5) 108 (6) 126 (7) 144	18 tonne per axle line"

IndiaCode

[F. No. RT-11042/13/2008-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii) vide notification number S.O. 728(E) dated the 18th October, 1996 and last amended vide notification number S.O.41(E) dated the 7th January, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.